न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 14 वर्ष 2021 **दिनांक : अक्टुबर 08, 2021**

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से पूर्व अनुमति एवं विचार–विमर्श के उपरान्त चूंकि सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया है। दाण्डिक न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कार्यरत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली एवं सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेश संख्या 10/2021 दिनांकित 20.04.2021 को संशोधित करते हुए क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अग्रिम अन्यथा आदेश तक निम्नवत व्यवस्था की जाती है –

1– न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा –

(1) पुलिस थाना चमोली, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र, पुलिस थाना गोपेश्वर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना चमोली, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के वादों तथा अन्य विशेष अधिनियम के अन्तर्गत योजित परिवाद।

(3) ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

2– न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा –

(1) पुलिस थाना–गोपेश्वर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना–गोपेश्वर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के वादों तथा अन्य विशेष अधिनियम के अन्तर्गत योजित परिवाद (उन दाण्डिक वादों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का अनन्यतः क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्राप्त है)।

(3) समय–समय पर स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाले वाद।

3– यह आदेश दिनांक 11.10.2021 से लागू होगा।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 184(6)/2021, गोपेश्वर : दिनांक : अक्टूबर 8, ,2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।

3– पुलिस अधीक्षक, चमोली।

4– सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।

5– सचिव, जिला बार संघ, चमोली–गोपेश्वर।

6– ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।

7– सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।

8– गार्ड फाईल।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।